भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 151

उत्तर देने की तारीखः 03.03.2020

राज्य विद्यालयी शिक्षा अधिनियम

151. श्री तालारी रंगैय्याः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य सभी सरकारी और निजी स्कूलों को चलाने के लिए अपने स्वयं के राज्य विद्यालयी शिक्षा अधिनियमों का पालन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को निधियां/अनुदान प्रदान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रम, प्रबंधन, छात्र और शिक्षक कल्याण के पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए क्या तरीका अपनाया है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और देश के अधिकतर स्कूल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है और राज्यों के उनके क्षेत्राधिकार के तहत के स्कूलों को चलाने के लिए स्वयं के राज्य शिक्षा अधिनियम/विनियम हैं। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के अनुसार केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिनमें विधानमंडल नहीं है, द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्कूल के संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। अन्य मामलों में, विधानमंडल वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सीमा के भीतर स्थापित स्कूलों के संबंध में राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र सरकार उपयुक्त सरकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार के रूप में निर्धारित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारें उनके संबंधित राज्य आरटीई नियमों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन कर रही हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की है। नई एकीकृत योजना में स्कूल शिक्षा को प्री-स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर तक जारी रखने की परिकल्पना की गई और इसका उद्देश्य समेकित और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के शिक्षा निष्कर्ष बढ़ाना, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और महिला-पुरुष अंतर समाप्त करना , स्कूल प्रावधान में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना और आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत संबंधित अधिसूचित प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश के लिए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति बालक लागत मानकों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा की स्वयं की बेहतर मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली है। यह विभाग कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आवधिक बैठक का आयोजन करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ) 2005 को अधिकतर राज्यों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के स्कूलों में कार्यान्वयन हेतु स्वीकार या अनुकूलन किया गया है।

*****